न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, अम्बेडकरनगर।

पीठासीन – मीरा गोठलवाल, उ०प्र० "उच्चतर न्यायिक सेवा"

उ०प्र०राज्य---- बनाम----ओमप्रकाश यादव आदि।

सत्र परीक्षण संख्या-215/2023

CNR.No.-UPAN010046732023

C.No.-673/2023

दिनांक-30.03.2024

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6 अ आदेश हेतु नियत है, जिस पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या-6 अ

प्रार्थना पत्र 6 अ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस आशय प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा वाद में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 427, 308, 325 भा०दं०सं० न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें धारा 308 भा०दं०सं० को छोड़कर शेष सभी धाराओं के अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। विवेचक द्वारा दर्शित किए गये अपराध से धारा 308 दं०प्र०सं० के अपराध के आवश्यक तत्व वाद के तथ्यों के अनुसार विद्यमान नहीं हैं। तीन चिकित्सीय आख्या, जिसमें सप्लीमेंटरी आख्या भी है, से यह स्पष्ट है कि शरीर के Vital Part पर किसी प्रकार की घोर उपहति उपस्थित नहीं है। मात्र Knee Joint में एक गम्भीर उपहति है। प्रस्तुत वाद में धारा 308 भा०दं०सं० का मुख्य अव्यय Sudden Provocation का अव्यय केस डायरी में विद्यमान नहीं हैं। नवीन दं०प्र०सं० में धारा 227 दं०प्र०सं० वर्णित है। अभियुक्तगण के समय और मानसिक यातना से बचाव के लिए धारा 228(1) दं०प्र०सं० के अनुसार, अभियुक्तगण द्वारा प्रथम दृष्टया कोई भी अपराध ऐसा बनता नहीं प्रतीत होता है जो कि सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, जिस कारण वाद के विचारण हेतु मुख्य दण्डाधिकारी को स्थानान्तरित करने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का मौखिक तौर से घोर विरोध किया गया है और कथन किया गया है कि जो तथ्य अभियुक्तपक्ष द्वारा उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्षित किया जा सकता है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी संजय यादव की तहरीरी दिनांकित- 19.09.2022 के आधार पर अभियुक्तगण ओमप्रकाश यादव पुत्र अवध, आलोक पुत्र ओमप्रकाश, सूरजा देवी पत्नी ओमप्रकाश तथा अर्चना पुत्री ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा-452, 323, 504, 506, 308 व 427 भा०दं०सं० के तहत मुकदमा थाना अहिरौली, अम्बेडकरनगर में दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत केस डायरी व अन्य साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्तगण ओमप्रकाश यादव, आलोक यादव, सूरजा देवी तथा अर्चना यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा - 452, 323, 504, 506, 308, 427 व 325 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के द्वारा मुख्य रूप से प्रार्थनापत्र 6 अ के माध्यम से यह आपत्ति की गई है कि विवेचक द्वारा दर्शित किए गये अपराध से धारा

308 दं०प्र०सं० के अपराध के आवश्यक तत्व वाद के तथ्यों के अनुसार विद्यमान नहीं हैं। तीन चिकित्सीय आख्या, जिसमें सप्लीमेंटरी आख्या भी है, से यह स्पष्ट है कि शरीर के Vital Part पर किसी प्रकार की घोर उपहति उपस्थित नहीं है। मात्र Knee Joint में एक गम्भीर उपहति है। प्रस्तुत वाद में धारा 308 भा०दं०सं० का मुख्य अव्यय Sudden Provocation का अव्यय केस डायरी में विद्यमान नहीं हैं।

अभियुक्तपक्ष के द्वारा उठाए गए समस्त बिन्दु तथ्यात्मक प्रकृति के हैं, उनके सम्बन्ध में बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। अभी अभियोजनपक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही अभियुक्तपक्ष के द्वारा ही साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। आरोप पत्र पर विवेचक द्वारा कुल 08 साक्षीगण बनाए गए हैं, जिनका परीक्षण न्यायालय के समक्ष होने से ही मामले का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जा सकेगा। दौरान विचारण अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित कराए जाने हेतु साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित कराएँ जाएगे, जिनसे प्रतिपरीक्षा किये जाने का पूर्ण अवसर अभियुक्तपक्ष को रहेगा। साथ ही साथ अभियुक्तगण को भी अपने बचाव में साक्षी प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा, जिनके उपरांत ही प्रार्थनापत्र 6अ के संदर्भ में कोई भी उचित निष्कर्ष दिया जाना सम्भव है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में निम्न विधि का मत प्रतिपादित किया गया है-

कान्ती भद्रशाह बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर. 2000, एस.सी. 522 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बनाये जाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखना है।

ओमवती बनाम दिल्ली राज्य (2001) एस.सी.सी. 333 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि न्यायालय जब किसी अभियुक्त को उन्मोचित करे तब कारण दर्शित करना आवश्यक है, परन्तु जब आरोप विरचित करना हो, तो कारण दर्शित करना आवश्यक नहीं है।

प्रभुनाथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 (60) ACC 59 (इलाहाबाद) में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है।

सज्जन कुमार बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2010) 9 एस.सी.सी. पेज 368 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है-

1- आरोप विरचित करते समय न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य को सीमित उद्देश्य हेतु अवलोकन किया जाना वांछित है कि क्या उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

2- अभियुक्त के विरूद्ध यदि गम्भीर सन्देह न्यायालय के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, जिसका स्पष्टीकरण अभियुक्त द्वारा न दिया गया हो, तो भी न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है।

3- आरोप विरचित करने के स्तर पर न्यायालय अभियोजन पक्ष का माउथ पीस अथवा डाकघर की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले के विस्तृत संभावनाओं को ध्यान रखना चाहिए।

4- पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना संभावित है, तो इसके विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना चाहिए।

5- अभियुक्त को तभी उन्मोचित किया जाना चाहिए, जब उसके विरूद्ध लगाये आरोप पूर्णतया निराधार हों।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री को दृष्टिगत रखने पर यह विदित होता है कि अभियुक्तगण ओमप्रकाश यादव, आलोक यादव, सूरजा देवी तथा अर्चना यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा - 452, 323, 504, 506, 427 व 325 भा०दं०सं० के साथ धारा 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत भी अपराध हेतु आरोप विरचन करने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है। उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए तद्नुसार उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज सं०-6 अ निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र कागज सं०-6 अ निरस्त किया जाता है। पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक- **05.04.2024** को पेश हो। अभियुक्तगण आरोप विरचन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक-**30.03.2024**

(मीरा गोठलवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चतुर्थ, अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड- UP1744

Digitally signed by MEERA GOTHALWAL
Date: 2024.03.30 16:29:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court